

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1018/198/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	संस्कार शिक्षा प्रसार एवं सामाजिक कल्याण समिति, मंदसौर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 संस्कार इंस्टी0 आफ प्रोफेशनल स्टडीज, दलौदा मंदसौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी0बी0ए0-तृतीय 2-बी0सी0ए0-तृतीय
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कोड-28 में नियुक्तियाँ नहीं, धारा-27 में जीवित सदस्यों की सूची नहीं वि0वि0 की गत वर्ष की संबद्धता प्रस्तुत नहीं।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्तियाँ तथा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता नहीं है।


//2//

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0बी0ए0-तृतीय 2-बी0सी0ए0-तृतीय

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.


पृ. क्रमांक- 101/198/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

---की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पौचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1016/196/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	लोक मान्य तिलक शैक्षणिक न्यास उज्जैन
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा10 लोक मान्य तिलक साइंस एण्ड कामर्स कालेज, उज्जैन
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0काम0-आनर्स-प्रथम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	धारा-27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची कालेज कोड-28 में विश्वविद्यालय का पत्र नहीं।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कार्यालयीन आदेश दिनांक 15/03/2017 के परिपेक्ष्य में संस्था द्वारा कमी की नियमानुसार पूर्ति नहीं की गई है।

//2//

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0काम0-आनर्स-प्रथम

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1017/196/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1014/336/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री पुष्पदंत सागर दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति न्यास सोनकच्छ
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा10 मों जिनवानी कालेज आफ लिगल स्टडीज, सोनकच्छ जिला देवास
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	----
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0-एल0एल0बी0-द्वितीय वर्ष
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कोड-28 में नियुक्तियाँ नहीं है। धारा-27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची प्रस्तुत नहीं।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियाँ नहीं है।


//2//

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0-एल0एल0बी0-द्वितीय वर्ष

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.


पृ. क्रमांक- 1015/336/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1012/106/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	संपूर्ण शिक्षा प्रसार समिति, उज्जैन
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	अशा0 एम्पल कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, खुई गढा रोड नगर परिषद, उन्हेल तह0 नागदा जिला उज्जैन
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-कम्प्युटर सा0, गणित, भौतिक 2-बी0काम0-प्लेन/कम्प्यु0 एप्ली0
4	आदेश क्रमांक - 584/378 /आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	1. धारा 21 की भूमि कय को अनुमति नहीं है। 2. शुल्क 5000 रु. कम जमा है।
5	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	धारा-21 की अनुमति संलग्न की गई है। रुपये 5,000/- कम जमा होने से बी0काम0 मे अति0वि0 नहीं दिया जाने का निवेदन किया गया है। कार्यालयीन आदेश दिनांक 15/03/2017 के परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा शेष समस्त कमियों की पूर्ति की गई है। अतः नवीन महाविद्यालय मान्य।


//2//

6	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-कम्प्युटर सा0, गणित, भौतिक 2-बी0काम0-प्लेन	
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -	

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1013/106/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1010/237/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्रीपाल एजुकेशन सोसायटी, उज्जैन
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा10 भारतीय महा10 उज्जैन
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0-कम्प्यु0 ए0-द्वितीय
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	आवेदित विषय में कोड 28 में नियुक्ति नहीं।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड-28 में प्राचार्य एवं 10 शिक्षकों की नियुक्तियाँ हैं। वि0वि0 का पत्र संलग्न है। आवेदित निरन्तरता के विषय में 03 नियुक्तियाँ हैं।

//2//


7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0-कम्प्यु0 ए0-द्वितीय
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

5. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.


पृ. क्रमांक— 1011/237/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक— 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 994/289/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	गुरु सांदीपनी शिक्षण एवं शोध संस्थान, उज्जैन
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 श्री गुरु सांदीपनी गर्ल्स इंस्टी0 आफ प्रोफेशनल स्टडीज, उज्जैन
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-प्रथम में अति0वि0-बाटनी 2-बी0काम0-प्रथम में अति0वि0-कम्प्यु0 ए0
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-द्वितीय- भौतिक,गणित रसायन, अति0वि0-माईकोबायोलॉजी,जूलॉजी, कम्प्युटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी 2-बी0काम0-द्वितीय
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	धारा-27 में जीवित सदस्यों की सूची अनुमोदित नहीं, ईपीएफ एवं वेतन का भुगतान के बैंक प्रमाण नहीं, कोड-28 में नियुक्तियां नहीं।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड-28 में प्राचार्य सहित मात्र 03 नियुक्तियां है। अतः कॉलेज कोड 28 में संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है।

//2//

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति जारी किया जाता है।	अग्रलिखित प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति जारी नहीं किया जाता है।	अग्रलिखित प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
			नवीन पाठ्यक्रम1-बी0एससी0-प्रथम में अति0वि0-बाटनी 2-बी0काम0-प्रथम में अति0वि0-कम्प्यु0 एप्ली0 निरंतरता के पाठ्यक्रम 1-बी0एससी0-द्वितीय-भौतिक, गणित रसायन, अति0वि0- माईकोबायोलॉजी, जूलॉजी, कम्प्युटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी 2-बी0काम0-द्वितीय

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 995/289/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

---की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 992/234/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सांदीपनी शैक्षणिक समिति उज्जैन
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	सांदीपनी लॉ कॉलेज उज्जैन
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0-एल0एल0बी0-पंचवर्षीय-प्रथम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	निरंक
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	खैल मैदान के दस्तावेज, निरंतरता शुल्क जमा नहीं निर्मित क्षेत्रफल का अभाव है। वि0वि0 का अध्यादेश उपलब्ध नहीं कोड-28 में नियुक्तिया नहीं गत वर्ष का परीक्षा परिणाम संयुक्त जीवित एफडीआर वेतन का बैंक प्रमाण एवं ईपीएफ कटौती।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्तिया तथा विश्वविद्यालय का प्रमाण नहीं है।


//2//

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0-एल0एल0बी0-पंचवर्षीय-प्रथम

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.


पृ. क्रमांक- 993/234/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 990/202/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	रतनपुरी श्री गुरु कृपा शिक्षा प्रसार एवं सेवा समिति, रतलाम
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 श्री योगन्द्र सागर इंस्टी0 आफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस रतलाम
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-माइक्रोबायोलॉजी, बाटनी केमिस्ट्री -तृतीय
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	ईपीएफ कटौती नहीं, कोड-28 में नियुक्ति नहीं, रासेयो ईकाई प्रारंभ नहीं, धारा-27 में जीवित सदस्यों की अनुमोदित सूची नहीं।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्तियां नहीं है।


//2//

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-माईकोबायोलॉजी, बाटनी केमिस्ट्री -तृतीय

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.


पृ. क्रमांक-991/202/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- ⁹⁸⁸ /195/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री दादा जी शिक्षण एवं सामाजिक समिति, देवास
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 श्री दादाजी कालेज, सतवास जिला देवास
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-तृतीय(भौतिक, गणित, कम्प्यू) 2-बी0एससी0-द्वितीय-बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बाटनी, रसायन, सीड टेक्नो 3-बी0ए0-द्वितीय-प्लेन/अति0वि0-कम्प्यु0 ए0 4-बी0काम0-द्वितीय-प्लेन/कम्प्यु0एप्ली0
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कोड 28 में केवल वनस्पति गणित और बायोटेक्नोलोजी में नियुक्ति है, किन्तु पर्याप्त नियुक्तियाँ नहीं हैं।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियाँ नहीं हैं।

//2//

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी0एससी0-तृतीय(भौतिक, गणित, कम्प्यु) 2-बी0एससी0-द्वितीय-बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बाटनी, रसायन, सीड टेक्नो0 3-बी0ए0-द्वितीय-प्लेन/अति0वि0-कम्प्यु0 ए0 4-बी0काम0-द्वितीय-प्लेन/कम्प्यु0एप्ली0

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 989/195/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्य प्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 986/340/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	पूज्य रामनारायण राजीबाई शिक्षा प्रचार समिति, नीमच
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा० आर०बी०एस० इंस्टी० आफ एजु० नीमच
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	----
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी०काम०-प्लेन/कम्प्युटर ए०-तृतीय वर्ष 2-बी०एससी०-भौतिक, गणित, कम्प्युटर-तृतीय वर्ष
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	आवेदित विषय में कोड 28 में नियुक्ति संबंधी पत्र नहीं है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड-28 में विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 04/08/2016 एवं 05/09/2016 द्वारा 24 शिक्षकों के चयन का आदेश जारी किया जा चुका है।

//2//

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	1-बी0काम0-प्लेन/कम्प्युटर ए0-तृतीय वर्ष 2-बी0एससी0-भौतिक, गणित, कम्प्युटर-तृतीय वर्ष
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

5. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 987/340/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 984/242/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण.
1	समिति का नाम	अरावली इंस्टीटो आफ कम्प्युटर मैनेजमेंट सोसा0 नीमघ
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अरावली मैनेजमेंट एण्ड कम्प्युटर कालेज, नीमघ
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0काम0-कम्प्युटर-तृतीय/अति0 वि0-कम्प्यु0
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कोड-28 में नियुक्तियों के दस्तावेज, ईपीएफ कटोत्रा के नियमानुसार दस्तावेज नहीं, गत वर्ष की विश्वविद्यालय की संबद्धता नहीं, गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज अप्राप्त है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	गत वर्ष की विश्वविद्यालय की संबद्धता नहीं है तथा कॉलेज कोड-28 में नियुक्तियां नहीं है।


//2//

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	---निरंक---
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0काम0-कम्प्युटर-तृतीय/अति0 वि0-कम्प्यु0

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.


पृ. क्रमांक- 985/242/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

---की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 976/110/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।


2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सुराना एजुकेशन सोसायटी, पंकज दाल एण्ड बेसन मिल, मंदसौर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशासकीय आचार्य राजेन्द्र सूरी शिक्षा महा0 नीमच बायपास रोड मंदसौर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1-बी0ए0-प्रथम(कम्यु.अंग्रेजी, राजनीति) 2-बी0सी0ए0-प्रथम 3-बी0बी0ए0-प्रथम 4-बी0एससी0-प्रथम अति0वि0-कम्युटर 5-बी0काम0-प्लेन/अति0वि0 कम्युटर
4	आदेश क्रमांक - 584/378 /आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	नक्शा स्थानीय/शासकीय निकाय से अनुमोदित नहीं, खेल मैदान हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र नहीं, धारा 27 में नवीन सदस्यों की अनुमोदित सूची, डायवर्सन का सक्षम प्राधिकारी का आदेश नहीं, 10/20 कि.मी का कलेक्टर का प्रमाण पत्र नहीं, पाठ्यक्रम संचालन संबंधी कुल सचिव का प्रमाण पत्र/अध्यादेश नहीं, अन्य वि.वि. के पाठ्यक्रम न संचालित करने संबंधी घोषणा

		पत्र, ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव सहित भवन निर्माण की अनुमति एवं भवन पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं है।
5	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	एसडीएम कार्यालय में राशि कम जमा की गई है जो कि आदेशानुसार नहीं है।
6	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		1-बी0ए0-प्रथम(कम्प्युअग्रेजी, राजनीति) 2-बी0सी0ए0-प्रथम 3-बी0बी0ए0-प्रथम 4-बी0एससी0-प्रथम अति0वि0-कम्प्युटर 5-बी0काम0-प्लेन/अति0वि0 कम्प्युटर


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 977/110/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, दुजौर (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, विश्वविद्यालय, दुजौर (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय संभाग, दुजौर मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1022/01/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री राधे गोर्वधन शिक्षण प्रशिक्षण एवं कौशल विकास समिति, उज्जैन
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0इम्पीरियल कालेज आफ फण्डामेंटल स्टडीज, देवास
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी0ए0-तृतीय(कम्प्यु.ए0,राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र) 2.बी0एससी0-तृतीय(भौतिक,गणित,रसायन) अति0वि0-कम्प्यु0सा0, बाटनी,माईक्रोबायोलॉजी
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	संबद्धता नहीं, अंतिम तिथि के बाद शेष शुल्क रूपये 10000 जमा किया गया। आवेदित विषयों में वनस्पति, गणित, राजनीति विज्ञान में नियुक्ति है जो पर्याप्त नहीं है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है।

//2//


7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—
आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	1-बी०ए०-तृतीय (कम्प्यु. ए०, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र) 2.बी०एससी०-तृतीय (भौतिक, गणित, रसायन) अति०वि०-कम्प्यु०सा०, बाटनी, माइक्रोबायोलॉजी

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

पृ. क्रमांक- 1023/01/आउशि/सम्बद्धता/17.



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म०प्र०)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म०प्र०)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पाँचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1020/199/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक- 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	संत मुरली गोपाल शिक्षण समिति, तराना
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 मास्टर माइण्ड कन्या महा0 तराना, उज्जैन
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	-----
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0एससी0-तृतीय- माईकोबायोलॉजी, बाटनी एवं जूलॉजी
5	आदेश क्रमांक - 572/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	गत वर्ष की विश्वविद्यालय की संबद्धता, कोड-28 में नियुक्ति ईपीएफ कटोत्रा एवं वेतन के भुगतान का बैंक प्रमाण प्रस्तुत नहीं।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कार्यालयीन आदेश दिनांक 15/03/2017 के परिपेक्ष्य में संस्था द्वारा कमियों की पूर्ति नहीं की गई है। स्थिति यथावत् है।


//2//

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी०एससी०- तृतीय- माईकोबायोलॉजी, बाटनी एवं जूलॉजी

4. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.


पृ. क्रमांक- 1021 / 199 / आउशि / सम्बद्धता / 17.

भोपाल, दिनांक- 10 / 04 / 2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको, भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग, उज्जैन (म०प्र०)।
- 4- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, (म०प्र०)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.